भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2738
दिनांक 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपराधिक मामलों संबंधी कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

2738. श्री अशोक कुमार यादवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई आपराधिक कानून प्रणाली में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत आपराधिक मामलों संबंधी कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को महत्व दिया गया है;

(ग) क्या नए आपराधिक कानून में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों के बयान दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इसका कार्यान्वयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): न्यायिक प्रक्रिया की गति, दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए ई-साक्ष्य, ई-समन और न्याय-श्रुति (वीसी) जैसे एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। जहां ई-साक्ष्य डिजिटल साक्ष्यों के वैध, वैज्ञानिक और छेड़छाड़-रहित संग्रह, संरक्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति को सक्षम बनाता है, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और कम देरी होती है, वहीं ई-समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजने की सुविधा देता है, जिससे प्रक्रिया तेज, समयबद्ध और आसानी से ट्रैक करने योग्य हो जाती है। न्याय-श्रुति (वीसी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्तों, गवाहों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, कैदियों आदि की आभासी (वर्चुअल) उपस्थिति की सुविधा प्रदान करता है। अस्पतालों के साथ मेडिको लीगल रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए मेडिको लीगल परीक्षा और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग (MedLeaPR) एप्लिकेशन के साथ एकीकरण भी प्रदान किया गया है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 2738, दिनांक 05.08.2025

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार 23 नई कार्यक्षमताएँ प्रदान करने के लिए अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) एप्लिकेशन को उन्नत करने हेतु सॉफ्टवेयर पैच विकसित किए हैं। ये पैच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डिप्लायमेंट के लिए दिए गए हैं।

एनसीआरबी ने सभी स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए नए आपराधिक कानूनों पर एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में 'एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज' नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है। यह मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस), 2023 की धारा 254 (प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य), धारा 265 (अभियोजन के लिए साक्ष्य) और धारा 266 (बचाव के लिए साक्ष्य) साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और गवाहों की जाँच के लिए ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग का प्रावधान करती हैं। इसके अलावा, बीएनएसएस की धारा 530 में प्रावधान है कि बीएनएसएस के तहत सभी विचारण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक संचार या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित किया जा सकता है।

****